कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी

संख्या 487/2–स्था0/315/स्थाना0/प्र0प्र0के0/दिनांक 09 जून, 2023

:: स्थानान्तरण आदेश ::

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/ 2018/20(1)/ 2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रकाशित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रमोत्तर ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत निम्न प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में इंगित उनकें वर्तमान तैनाती स्थल/जनपद से स्तम्भ–04 में उल्लिखित प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान/जनपद	स्थानान्तरित प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र	स्थानान्तरण का प्रकार/स्थानान्तरण से सम्बन्धित धारा तथा स्थानान्तरण की प्रक्रिया
01	02	03	04	05
1	श्री गीता जोशी, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हल्द्वानी, (नैनीताल)	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा 13(5) एवं धारा 17(1) (ख)–(दो) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के तहत

2. उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को उक्तानुसार अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के तहत किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

3. सम्बन्धित आचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 के अनुसार उक्त स्थानान्तरित प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी को एक सप्ताह अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नव तैनाती स्थान/जनपद में कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4. सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगें तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य 'यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

5. उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

6. सम्बन्धित आचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(नितिका खण्डेलवाल)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास।

संख्या 487 /2–स्था0/315/ स्थाना0/प्र0प्र0के0/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, ग्राम्य विकास विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी/नैनीताल।
3. आचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी/हल्द्वानी।
4. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, पौड़ी/नैनीताल।
5. उपरोक्त सम्बन्धित कार्मिक द्वारा आचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी।

आयुक्त,
ग्राम्य विकास।